




भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
पर्यावरण रोड,  
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,  
पो०ओ० न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून—248006  
दूरभाष: 0135—2750809,  
ईमेल / Email – [moef.ddn@gmail.com](mailto:moef.ddn@gmail.com)

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT,  
FORESTS & CLIMATE CHANGE,  
REGIONAL OFFICE,  
Pearson Road, FRI Campus,  
P.O. New Forest, Dehradun – 248006  
Phone: 0135-2750809

पत्र सं० ०८वी / यू०सी०पी० / ०६ / २५५ / २०१५ / एफ०सी० / ६६६

दिनांक: ०६/०७/२०१६

सेवा में,

 प्रमुख सचिव (पन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद—अल्मोड़ा में जैंती—बांजधार —मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.४५ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक— १९२०/एफ.पी./यू.के./रोड/ ११३७८/२०१५ दिनांक ०६.०१.२०१६

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/Road/11378/2015 तथा प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा—२ के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंघर्षक पत्र द्वारा समय—समय पर अतिरिक्त सूचना चाही गयी, जिसकी अंतिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 23.06.2016 द्वारा प्रेषित की गई। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद—अल्मोड़ा में जैंती—बांजधार —मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.४५ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैं—


१. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा २१४० वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित जमा की जायेगी)।
२. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७—एफ.सी. दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
३. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
४. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या ५-३/२००७—एफ.सी. दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी नियियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण नियिं प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तर्दध निकाय खाते में **Online portal** के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
५. The State Govt. may provide clear copy of GIS software generated geo-referenced map showing geo-coordinate of 200-300 m distance along the alignment including all turning points of the proposed road.
६. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Vergem पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तव तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सेंद्रान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए वाद्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैंस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
5. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
7. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 214 से अधिक न हो।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
9. परियोजना निर्माण से उत्तर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
10. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,  


(एम०एस० नेगी)  
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रायती।

(एम०एस० नेगी)  
वन संरक्षक